सत्यमेव जयते The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08032025-261509 CG-DL-W-08032025-261509

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित **PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 8-मार्च 14, 2025 (फाल्गुन 17, 1946)

No. 10]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 8-MARCH 14, 2025 (PHALGUNA 17, 1946)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं. भाग I—खण्ड−1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	ठ सं.
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक	
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा आदेश और अधिसूचनाएं	*
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय	
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की प्रशिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	
गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक	
पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य	
अधिसूचनाएं	
भाग 1—खण्ड-3—रक्षा मेत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत	
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित	
अधिसूचनाएं 7 होते हैं)	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक	
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, नियम और आदेश	*
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1365 । भाग III—खण्ड−1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और	
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग,	
विनियम* रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध	
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों अौर अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई	
<i>c</i> ,	537
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर सिमितियों भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और	
के बिल तथा रिपोर्ट * डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन	
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों	
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन	
नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और अौर नोटिस शामिल हैं	1
उपविधियां आदि भी शामिल हैं) * भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा	
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 10	043
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय	
आंकड़े प्राप्त नहीं हुए। को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

CONTENTS

PART II—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court		Page No.		Page No.
Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme		the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the	*
issued by the Ministry of Defence	Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and	213	& Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of	•
Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	issued by the Ministry of Defence	7	I	*
Regulations	Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1365	Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the	
language, of Acts, Ordinances and Regulations	Regulations	*		
Committee on Bills	language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	by the Patent Office, relating to Patents	
Statutory Rules (including Orders, Byelaws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	Committee on Bills	*	PART III—Section 3—Notifications issued by or under	
Administration of Union Territories) PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	Statutory Rules (including Orders, Byelaws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the		PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	I	
	Orders and Notifications issued by the			*

^{*}Folios not received.

भाग I—खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-01, दिनांक 20 फरवरी 2025

- सं. 9-5/2025-यू.3(ए)—जबिक, सीएमआर एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मल्ला रेड्डी (एमआर) के नाम पर मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज, मैसम्मगुड़ा, गुंडलापोचंपल्ली, मेडचल, मलकाजगिरी, तेलंगाना को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने के लिए यूजीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
- 2. और जबिक, यूजीसी ने दिनांक 10.01.2025 के अपने पत्र संख्या 41-5/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम 2023 के अनुसार इसकी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की गई थी। विशेषज्ञ समिति ने सर्वसम्मति से कुछ शर्तों के साथ मल्ला रेड्डी (एमआर) के नाम पर मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडचल, मलकाजिंगरी, तेलंगाना को सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान का दर्जा देने की सिफारिश की थी।
- 3. और जबिक, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 23.12.2024 को हुई अपनी 586वीं बैठक (मद संख्या 2.14) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
- 4. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद द्वारा यूजीसी की सलाह पर, मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज, मैसम्मगुडा, गुंडलापोचंपल्ली, मेडचल, मलकाजिगरी, तेलंगाना को मल्ला रेड्डी (एमआर), हैदराबाद, तेलंगाना के नाम पर सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने की घोषणा करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:
 - i. मल्ला रेड्डी (एमआर), हैदराबाद यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 और समय-समय पर इसके संशोधनों का पालन करेगा।
 - ii. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख़्ती से पालन किया जाएगा।
 - iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान या इसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
 - iv. मल्ला रेड्डी (एमआर), हैदराबाद किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
 - v. मल्ला रेड्डी (एमआर), हैदराबाद में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
 - vi. मल्ला रेड्डी (एमआर), हैदराबाद अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
 - vii. मल्ला रेड्डी (एमआर), हैदराबाद समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।
 - viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और मल्ला रेड्डी (एमआर), हैदराबाद द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।

- ix. मल्ला रेड्डी (एमआर), हैदराबाद यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन /नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- x. मल्ला रेड्डी (एमआर), हैदराबाद यूजीसी और संबंधित संविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xi. मल्ला रेड्डी (एमआर), हैदराबाद इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xii. मल्ला रेड्डी (एमआर), हैदराबाद को अनिवार्य रूप से अकादिमक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएं।

पूर्णेंदु किशोर बनर्जी संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 20th February 2025

No. 9-5/2025-U.3(A)—Whereas, C.M.R. Educational Society, Hyderabad, Telangana had submitted an online application on the UGC Portal for grant of Institution deemed to be University status under general category to Malla Reddy Engineering College, Maisammaguda, Gundlapochampally, Medchal, Malkajgiri, Telangana in the name of Malla Reddy (MR) under Section 3 of the UGC Act, 1956.

- 2. And whereas, UGC, vide its letter No.41-5/2023 (CPP-I/DU) dated 10.01.2025, informed that the application was examined through its Expert Committee in accordance with UGC (Institution deemed to be Universities) Regulations 2023. The Expert Committee unanimously recommended for the conferment of Institution deemed to be University status under general category to Malla Reddy Engineering College, Medchal, Malkajgiri, Telangana in the name of Malla Reddy (MR) with certain condition.
- 3. And whereas, the recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 586th meeting (Item No. 2.14) held on 23.12.2024.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby declares Institution deemed to be University status under general category to Malla Reddy Engineering College, Maisammaguda, Gundlapochampally, Medchal, Malkajgiri, Telangana in the name of Malla Reddy (MR), Hyderabad, Telangana. This approval is further subject to the following conditions:
 - i. Malla Reddy (MR), Hyderabad shall follow the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 and its amendments, from time to time.
 - ii. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
 - iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
 - iv. Malla Reddy (MR), Hyderabad shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
 - v. The academic programmes to be offered at Malla Reddy (MR), Hyderabad shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
 - vi. Malla Reddy (MR), Hyderabad shall align its course with National Education Policy-2020.
 - vii. Malla Reddy (MR), Hyderabad shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
 - viii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Malla Reddy (MR), Hyderabad.
 - ix. Malla Reddy (MR), Hyderabad shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to this Ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
 - x. Malla Reddy (MR), Hyderabad shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
 - xi. Malla Reddy (MR), Hyderabad shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
 - xii. Malla Reddy (MR), Hyderabad shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary